

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


क्रमांक:चिप्र/बायोमेट्रिक/उपस्थिति/2017/२२

दिनांक: 10.01.2017

आदेश

राज्य के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी जिला अस्पतालों, उपखण्ड अस्पतालों/सैटेलाईट अस्पतालों/टीबी क्लीनिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय डिस्पेन्सरी में बायो-मेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त समस्त चिकित्सा संस्थानों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (MRS) फण्ड से दिनांक 15.02.2017 तक बायो-मेट्रिक मशीन स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।



(वीनू गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

क्रमांक:चिप्र/बायोमेट्रिक/उपस्थिति/2017/२२

दिनांक: 10.01.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम., मुख्यालय।
5. विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
6. निदेशक (जन स्वा./आरसीएच/एड्स/एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य/चि0प्र0), मुख्यालय।
8. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. सेन्द्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश सभी सम्बन्धित को ई-मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(डॉ० बी०आर० मीणा)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर।